



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

आवासीय तथा व्यावसायिक भूखण्डों की

बिब्य नीलामी माह :- जुलाई 2019

नीलामी स्थल - प्राधिकरण परिसर

क्रमांक :- एफ46/नीलामी/2018-19

1643

समय प्रातः 10.30 बजे से

दिनांक :- 14/07/2019

क्र.स.	योजना का नाम	किस्म	जोन	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल/ वर्ग मीटर	बोली प्रारम्भ करने की दर	अमानत राशि	नीलामी दिनांक/वार
01.	विवेक विहार आवासीय योजना सेक्टर - G	आवासीय (कॉर्नर)	दक्षिण	32,175,202	50' X 90' (418.6व.मी)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	01/07/2019 सोमवार
				158,159,174	45' X 70' (292.64व.मीटर)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	02/07/2019 मंगलवार
				215, 238	46' X 70' (299.15व.मीटर)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	03/07/2019 बुधवार
02.	विवेक विहार आवासीय योजना सेक्टर - D	आवासीय (कॉर्नर)	दक्षिण	78, 79, 111	33.5'X60' (186.74व.मी)	11,500/-	45,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	04/07/2019 गुरुवार
				35, 62,158	43.5'X60' (242.48व.मी)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	05/07/2019 शुक्रवार
				94, 95,159	43.5'X60' (242.48व.मी)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	08/07/2019 सोमवार
				42, 55, 585	46.25'X60' (257.81व.मी)	11,500/+	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	09/07/2019 मंगलवार
				142,143,110	33.5'X60' (186.74व.मी)	11,500/-	45,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	10/07/2019 बुधवार
03.	विवेक विहार आवासीय योजना सेक्टर - F	आवासीय भूखण्ड	दक्षिण	69,145,200	42.6' X 60' (237.46व.मीटर)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	11/07/2019 गुरुवार
				107, 238	47' X 60' (261.99व.मीटर)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	12/07/2019 शुक्रवार
				167, 178	44.6' X 60' (248.61व.मीटर)	11,500/-	55,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	15/07/2019 सोमवार
04.	खसरा नं. 269 कुड़ी भगतासनी मुख्य पाली रोड पर स्थित	व्यावसायिक	दक्षिण	9, 10, 11	50'X90' (418.22व.मी)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	16/07/2019 मंगलवार
				20, 21, 22	50'X90' (418.22व.मी)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	17/07/2019 बुधवार
				25, 26, 28	50'X90' (418.22व.मी)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	18/07/2019 गुरुवार
				31, 32, 34	50'X90' (418.22व.मी)	22,500/- प्रति वर्ग मीटर	1,90,000/- (प्रत्येक भूखण्ड हेतु)	19/07/2019 शुक्रवार

मुख्य शर्तें

- भूखण्डों की नीलामी 99 वर्षीय लीज होल्ड बेसिस पर प्राधिकरण परिसर में की जावेगी। बोलीदाताओं को बोली लगाने से पूर्व आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड एवं दुकान हेतु उपरोक्तानुसार बतौर धरोहर राशि जमा करानी होगी
- सफल बोलीदाता को भूखण्ड की कुल कीमत को 1/4 राशि उसी समय मौके पर नकद/डी.डी., बैंकर्स चैक, सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर के नाम से जमा करानी होगी। ऐसा नहीं किया जाने पर शर्त 1 में वर्णित जमा धरोहर राशि जब्त की जाकर उक्त भूखण्ड को पुनः नीलाम किया जायेगा एवं सफल बोलीदाता से राज. भू-राजस्व अधिनियम,1956 के तहत वसूली की जायेगी।
- मौके पर परिस्थिति अनुसार भूखण्डों की साईज व क्षेत्रफल घट बढ़ सकता है।
- सम्पत्ति जहां है जैसी है, के आधार पर नीलाम की जा रही है।
- उपरोक्त समस्त भूखण्डों/दुकानों में न्यूनतम 100 रु प्रति वर्गमीटर से कम बोली स्वीकार नहीं की जायेगी
- अधिक जानकारी एवं नीलामी की शर्तों के संबंध में, प्रभारी अधिकारी, (नीलामी) से कार्यालय समय में सम्पर्क करे।
- नीलामी की जानकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jodhpurjda.org पर देखी जा सकती है।
- धरोहर राशि जमा के साथ व्यक्ति / फर्म की सत्यापित पहचान-पत्र व पैन कार्ड को फोटो प्रति आवश्यक रूप से कैशियर को उपलब्ध करवानी होगी।
- किसी अन्य व्यक्ति/फर्म आदि के नाम से नीलामी में भाग लेने हेतु उस व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रतिनिधि के पक्ष में 50/- स्टाम्प पर जारी (तस्दीक शुदा) स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- धरोहर राशि जमा कराने का समय प्रातः 10.30 बजे से 12.30 एवं बोली प्रारम्भ करने का समय: अपराहन 1.00 बजे से रहेगा।

प्रभारी अधिकारी (नीलामी शाखा)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
मो. 9799042125, 9950007179
फोन- 0291-2656355, 2656356

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

प्रचलित नीलामी की शर्तें

सफल बोलीदाता को उसकी अन्तिम बोली से भूखण्ड की कुल कीमत 1/4 राशि उसी समय मौके पर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा करानी होगी। ऐसा नहीं किया जाने पर शर्त 1 में वर्णित धरोहर राशि जब्त की जाकर रहवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड निर्मित आवास/दुकान को पुनः नीलाम किया जावेगा।

सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति की तिथि से 30 दिवस के भीतर शेष 3/4 राशि जमा करवानी होगी अन्यथा उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात आगामी 60 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बोली स्वीकृत की तिथि से यह राशि जमा करवाई जा सकती है।

परन्तु उपरोक्त कालावधि के भीतर शेष 3/4 राशि जमा नहीं किये जाने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गयी 1/4 राशि जब्त हो जायेगी एवं नीलामी सुदा भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त हो जावेगी।

आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि में अपने स्वयं विवेक के अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वतः निरस्तीकरण आदेश को वापिस लेते हुए नीलामी को नियमित कर सकते हैं, बशर्ते सफल बोलीदाता शेष 3/4 राशि को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मय निम्न शास्ती के साथ जमा करवाने को तैयार हो:-

(क) 6 माह तक शास्ती 5 % (ख) 6 माह से अधिक शास्ती 10 %

स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर स्वयं विवेक से आगामी एक वर्ष की अवधि तक इस प्रकार स्वतः निरस्तीकरण को नियमित कर सकता है बशर्ते सफल बोलीदाता को शर्त क्रमांक 5 में अंकित शास्ती एवं ब्याज की बकाया 3/4 राशि के साथ जमा करवाने को तैयार हो।

आयुक्त एवं कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर इस प्रकार से नियमन के लिए पाबंद नहीं है। वह उनका स्वयं विवेक अधिकार है कि दो प्रकरण को नियमित करे या नहीं, जो कि प्रकरण के गुणावगुण व स्वयं विवेक पर निर्भर करता है।

सफल बोलीदाता द्वारा बकाया 3/4 राशि का भुगतान यदि नकद न करवाया जाकर बैंक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो जमा की तिथि उक्त बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर खाते में क्रेडिट होने पर ही मान्य होगी।

सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के स्थल पर लगाई गई बोली जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर आयुक्त द्वारा बोली स्वीकृत किये जाने पर ही मान्य होगी।

आयुक्त जो.वि.प्रा. में किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्तिया निहित होंगी।

मौके पर नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी किसी भी बोली को निरस्त कर सकता है यदि उसकी नजर में डी गई बोली स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है।

भूखण्ड की नीलामी किरायेदार स्वामित्व के आधार पर 99 वर्ष के लिए होगी। प्रतिवर्ष निर्धारित दर से लीज राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा जो नीलामी की रकम से अतिरिक्त देय होगी।

भूखण्डों का उपयोग नीलामी के समय निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं किया जावेगा यदि किसी भी समय अन्यथा प्रयोग पाया गया तो जोधपुर विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि नीलामी को निरस्त कर दे अथवा सरकार व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्मित नियमों के अनुरूप कार्यवाही अमल में ला सकेगा।

नियम 14(क) के अनुसार निर्माण के लिए कालावधि 3 वर्ष के लिए रहेगी। विफल रहने पर भूखण्ड जेडीए द्वारा पुनः ग्रहित कर लिया जावेगा।

यदि सफल बोलीदाता को नीलामी की तिथि से 15 दिवस के भीतर बोली प्रतिग्रहित किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हो तो यह बोलीदाता स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर नोटिस प्राप्त करे तथा नोटिस में दी हुई तिथि तक 3/4 राशि जमा करवा दें। नीलामी प्रतिग्रहित किए जाने की सूचना बोलीदाता द्वारा प्राप्त नहीं करने पर बोली के वक्त दर्ज कराए गये पते पर यू.जी.सी. अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्वीकृत सूचना बोलीदाता को भेजी जा सकेगी व उक्त पते पर भेजा गया पत्र बोलीदाता को उपलब्ध न होने से अथवा लेने से इन्कार करने पर अथवा नोटिस पावती जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्राप्त नहीं होने की सूत्रत में स्वीकृत का नोटिस तामील होना माना जायेगा।

राज्य सरकार अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियम व शर्तें मान्य होगी।

अन्य शर्तें जो भी भूखण्ड पर लागू होंगी मौके पर बताई जायेगी।

उपरोक्त शर्तें क्र. 1 से 17 मैन पढ़कर समझ ली है जो मुझे मान्य है।

दिनांक

भूखण्ड सं. योजना किरम

प्रफल वर्गमीटर अंतिम बोली दर

संमत राशि

दाता का नाम

पिता का नाम

हस्ताक्षर

तिथि